WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND BACKWARD CLASSES DEPARTMENT

The 23rd December, 1983

No. 4531-SW (4)-83.—In exercise of the powers conferred by section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby rescinds the Haryana Government, Welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department, Notification No. 2464-SW (4)-83, dated the 25th June, 1983, published under section 4 of the aforesaid Act.

M.G. DEVASAHAYAM,

Commissioner and Secretary to Government,
Haryana, Welfare of Scheduled Castes and
Backward Classes Department.

श्रम विभाग

(शुद्धि पत्र)

दिनांक 19 दिसम्बर, 1983

संख्या 12(170)82-2 श्रम.—हरियाणा सरकार की अधिसूचना संख्या 12(170)82-2 श्रम, दिनांक 16 सितम्बर, 1983 जिसके द्वारा स्टेट एडवाईजरी माईग्रेन्ट लेबर बोर्ड का गठन किया गया है तथा जो हरियाणा सरकार राजपत्र (असाधारण), दिनांक 28 सितम्बर, 1983 द्वारा हिन्दी में प्रकाशित हुआ है, के सीरीयल नं. 4 के बजाए सीरीयल नं. 3 के सामने "सदस्य सचिव" पढ़ा जाए।

एम० सी० गुप्ता,

सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

दिनांक 26 दिसम्बर, 1983

सं.ओ.वि./सोनीपत/226-83/66539.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल की राय है कि मै. चौधरी कैमीकल्ज इण्डस्ट्रीज 22/2 जी.टी. रोड़, गांव व डा. बहालगढ़, (सोनीपत) के श्रमिक श्री छोटे लाल तथा उसके प्रबन्धकों के बीच इसमें इसके बाद लिखित मामले में कोई औद्योगिक विवाद है;

और चूंकि हरियाणा के राज्यपाल विवाद को न्यायनिर्णय हेतु निर्दिष्ट करना वांछनीय समझते हैं;

इस लिए, अब, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ग) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सरकारी अधिसूचना सं. 9641-1-श्रम/70/32573, दिनांक 6 नवम्बर, 1970 के साथ पठित सरकारी अधिसूचना सं. 3864-ए.एस.ओ. (ई) श्रम-70/13648, दिनांक 8 मई, 1970 द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 7 के अधीन गठित श्रम न्यायालय, रोहतक को विवादग्रस्त या उससे सुसंगत या उससे सम्बन्धित नीचे लिखा मामला न्याय निर्णय हेतु निर्दिष्ट करते हैं जो कि उक्त प्रबन्धकों तथा श्रमिक के बीच या तो विवादग्रस्त मामला है या उक्त विवाद से सुसंगत या सम्बन्धित मामला है :—

क्या श्री छोटे लाल की सेवाओं का समापन न्यायोचित तथा ठीक है? यदि नहीं, तो वह किस राहत का हकदार है?

वी. एस. चौधरी,

उप-सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।